



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1360]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9, 2019/चैत्र 19, 1941

No. 1360]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 2019/CHAITRA 19, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2019

का.आ. 1539(अ).—केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केरल राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड, केरल हेडलोड वर्कर्स वेल्फेयर बोर्ड, कोच्चि (पैन एएजेके1176एफ), को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, नामतः—

- (क) सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और ऋण के रूप में राशि;
- (ख) केरल हेडलोड वर्कर्स अधिनियम, 1978 (1980 का 20), केरल हेडलोड वर्कर्स नियम, 1981 और इसके तहत योजनाओं के अंतर्गत एकत्रित लेवी;
- (ग) बोर्ड के पास लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत सदस्यों से एकत्रित पंजीकरण फीस;
- (घ) केरल हेडलोड वर्कर्स अधिनियम, 1978 (1980 का 20) की धारा 13 के तहत बनाई गई केरल हेडलोड वर्कर्स (रोजगार और कल्याण का विनियमन) योजना 1983 के पैरा 27 के अनुसार नियोक्ताओं से जमा के रूप में प्राप्ति राशि;
- (ङ) केरल हेडलोड वर्कर्स अधिनियम, 1978 (1978 का 20), केरल हेडलोड वर्कर्स नियमावली 1981 और इसके अंतर्गत यथा-परिभाषित सदस्यों से अंशदान;
- (च) बोर्ड के स्टाफ और वर्कर्स को दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर व्याज;

- (छ) केरल हेडलोड वर्कर्स अधिनियम, 1978 (1980 का 20) की धारा 13 के अंतर्गत बनाई गई केरल हेडलोड वर्कर्स (रोजगार और कल्याण का विनियमन) योजना 1983 के पैरा 24(क) और 24 (ख) के अनुसार नियोक्ताओं से मजदूरी के रूप में प्राप्त राशि; और
- (ज) उपर्युक्त (क) से (छ) पर अर्जित ब्याज।
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि केरल हेडलोड वर्कर्स वेल्फेयर बोर्ड, कोच्चि
- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; तथा
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 2023-2024 और 2024-2025 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 35/2019/फा. सं.300196/75/2018-आईटीए-1]

राजाराजेश्वरी आर, अवर सचिव